कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश

श्री सुनील कुमार, कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश।

सर्वश्री रेमण्ड लि0 (सेल डिपार्ट) 311, सिटी सेन्टर, दि माल, कानपुर।

या:- 59/08

से0- श्री उमेश कुमार पाण्डे, एडवोकेट ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

श्री रेमण्ड लि0 (सेल डिपार्ट) 311, सिटी सेन्टर, दि माल, कानपुर के द्वारा उत्तर प्रदेश संवर्धित कर 007 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 15-2-2008 को प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नलिखित स्तु उल्लिखित है:-

फ्रेबिक्स, डास, शाल, लोई पर कर की दर क्या होगी ?।

ा-59 के प्रार्थनापत्र पर मुख्यालय के पत्र संख्या-708 दिनांक 15-02-2008 से एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, कानपुर जोन, कानपुर से आख्या मांगी गयी, जो पत्र संख्या -4268 दिनांक 27-2-2008 से प्राप्त हुयी है। उल्लेख किया गया कि बेड शीट, तकिया का गिलाफ एवं कपड़े की बनी अन्य वस्तुयें जिसमें हैण्डलूम पर स्तुयें सम्मिलित नहीं है, वैट अधिनियम 2008 के अन्तर्गत विज्ञापित अनुसूची-2 के भाग-क के क्रमांक 16 निर्णय अनुसार कपड़े की बनी ऐसी वस्तुयें जो हैण्डलूम पर बनी नहीं है पर 4 प्रतिशत की दर से कर

[illegible] के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु दिनांक 03-03-2008 को श्री उमेश कुमार पाण्डे एडवोकेट उपस्थित [illegible] उल्लिखित [illegible]

[illegible]

[illegible] है।

Bed sheet. pillow cover & other textile made ups excluding those made on handloom.

उक्त वस्तुओं की करदेयता के सम्बन्ध में वैट अधिनियम के अन्तर्गत कमिश्नर, वाणिज्य कर, द्वारा पूर्व में के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 29-2-08 को दिया गया है, जिसमें इन वस्तुओं पर करदेयता 4 % निर्धारित व्यापारी द्वारा धारा-59 में उल्लिखित वस्तुयें अनुसूची-2 के भाग-क के क्रमांक 16 से आच्छादित है अतः र देयता 4% होगी।

र्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थनापत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है। स निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर-निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही जाय।

14 मार्च, 2008

(सुनील कुमार) 14-3-08

कमिश्नर, वाणिज्यकर,

उत्तर प्रदेश।

प्रमाणित प्रतिलिपि

वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ